तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 183/2024 **सुरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम तहसीलदार** **प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नं. 521 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.23 हैक्टर भूमि अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल गलत दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र चिरंजीलाल है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने समर्थन में किता 4 गवाहान के शपथ पत्र पेश किये। बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रार्थी के शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथ पत्रों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न समस्त दस्तावेजात से प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र चिरंजीलाल साबित होता है। बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नं. 521 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.23 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र चिरंजीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	